



नगर पालिक निगम, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

(संपत्तिकर स्व-निर्धारण विवरणी) वर्ष 2020-2021 आई.डी.नं.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

क्रमांक

जोन क्रमांक

वार्ड क्रमांक

1. संपत्ति के स्वामी का नाम :-
2. पिता/पति का नाम :-
3. संपत्ति कहां स्थित है का पूरा पता :-
4. दूरभाष / मोबाईल नं. :-
5. भवन का प्रकार (पक्का/कच्चा) :-
6. भवन निर्माण की अवधि :-
7. भूखण्ड का क्षेत्रफल :-
8. संपत्ति आवासीय है या व्यवसायिक या औद्योगिक :-
9. संपत्ति कर आवासीय संपत्ति कर व्यवसा. संपत्ति कर औद्योगिक
जोन क्रं. जोन क्रं. जोन क्रं.
10. निर्मित क्षेत्र (वर्गफुट में)

भूतल	भूतल	भूतल
प्रथमतल	प्रथमतल	प्रथमतल
द्वितीय तल	द्वितीय तल	द्वितीय तल
अन्यतल	अन्यतल	अन्यतल
भू-गततल	भू-गततल	भू-गततल
11. खुली भूमि का क्षेत्रफल
12. आवासीय भाग का प्रारंभिक वार्षिक भाड़ा मूल्य व्यवसायिक भाग का प्रारंभिक वार्षिक भाड़ा मूल्य औद्योगिक भाग का प्रारंभिक वार्षिक भाड़ा मूल्य
13. कुल वार्षिक भाड़ा मूल्य :-
14. 10% रख-रखाव की छूट के पश्चात् शुद्ध वार्षिक भाड़ा मूल्य (नियम 7) :-
15. शुद्ध देय सम्पत्तिकर (..... प्रतिशत) :-
16. आवासीय भवन पर स्वामी का स्वयं रहवास है या किराये पर :-
17. आवासीय भवन में भवन स्वामी के स्वयं रहवास पर 50 (प्रतिशत) छूट के पश्चात् देय सम्पत्तिकर :-
18. निगम अधिनियम 1956 की धारा 136 के अधीन मिलने वाली छूट यदि पात्रता हो तो :-
19. निर्धारित अवधि 30 नवंबर 2020 के पूर्व एक मुस्त चालू संपत्तिकर मांग की राशि जमा करने पर धारा 137 के अधीन विशेष छूट (..... प्रतिशत) :-
20. शिक्षा उपकर (शुद्ध वा.भा. मूल्य का 2 प्रतिशत) :-
21. अनिवार्य समेकितकर -
अ) संपत्तिकर दाता के लिये 600.00 रु. वार्षिक । :-
- ब) गैर संपत्तिकर दाता के लिये 300.00 रु. वार्षिक । :-
22. बकाया राशि -
अ) पूर्व वर्ष का संपत्तिकर बकाया हो तो :-
- ब) पूर्व वर्ष का समेकितकर बकाया हो तो कुल बकाया :-
23. विलम्ब/अधिभार शुल्क :-
24. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 138 की उपधारा (2-क) के अंतर्गत शास्ति :-
25. रेनवाटर हार्वेस्टिंग चार्जेस :-
26. विवरणी प्रपत्र शुल्क :-
27. कुल देय राशि :-
28. कुल प्राप्त राशि :-

सत्यापन

भवन /संपत्ति स्वामी के हस्ताक्षर

में आत्मज निवासी यह सत्यापित करता हूँ कि विवरणी में दी गयी जानकारी सही है और यह कि मैंने जिस भवन /भूमि के संबंध में विवरणी दी है, उसका मैं स्वामी हूँ। स्वामित्व संबंधी अभिलेखों की प्रति संलग्न कर रहा हूँ।

भवन /संपत्ति स्वामी के हस्ताक्षर



कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

क्रमांक / चार/तीन/सं.क.वि./2020/172

भिलाई, दिनांक 19/03/2020

//अधिसूचना//

(वित्तीय वर्ष 2020-21 में संपत्तिकर के स्व-निर्धारण हेतु वार्षिक भाड़ा मूल्य की दरें एवं जोनों का वर्गीकरण)

छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के अधीन छत्तीसगढ़ नगर पालिका (भवनों/भूमियों के वार्षिक भाड़ा मूल्य का अवधारण नियम) नियम, 1997 के अंतर्गत नियम 6 के तहत वित्त वर्ष 2020-21 में संपत्तिकर के स्वनिर्धारण हेतु संकल्प का अंगीकरण महापौर परिषद नगर पालिक निगम भिलाई द्वारा प्रस्ताव क्र. 05 दिनांक 02.03.2020 में पारित किया गया, जिसकी अधिसूचना निगम क्षेत्र में स्थित भवन/भूमि के स्वामियों के जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है, विवरण निम्नानुसार है :-

1.जोनवार भूमियों के लिए वार्षिक भाड़ा मूल्य की दरें प्रति वर्गफुट में -

जोन क्रमांक	आवासीय दरें	व्यवसायिक दरें
जोन-1	रु. 10.08 प्रति वर्गफुट	रु. 12.60 प्रति वर्गफुट
जोन-2	रु. 5.04 प्रति वर्गफुट	रु. 6.30 प्रति वर्गफुट
जोन-3	रु. 2.52 प्रति वर्गफुट	रु. 3.78 प्रति वर्गफुट
जोन-4 (औद्योगिक)	-	रु. 3.14 प्रति वर्गफुट

2. सम्पत्तिकर निर्धारण के लिए जोन का वर्गीकरण - वर्तमान में प्रचलित संपत्तिकर के लिए आवासीय, व्यवसायिक एवं औद्योगिक के अनुसार कुल 4 (चार) जोन में निर्धारित हैं। तदनुसार जोन का वर्गीकरण निम्नानुसार है :-

जोन-1 (आवासीय)

वार्ड-1 में स्थित अनुष्ठा रेसीडेन्सी, बैंक कालोनी जुनवाणी, गांधी नगर जुनवाणी, चौहान ग्रीन वेली तथा अन्य समान भूमि मूल्य के क्षेत्र, वार्ड-02 स्मृतिनगर (पूर्व/पश्चिम), चौहान टाउन, सूर्यविहार उसके अनुरूप सभी प्रकार की कालोनियों, वार्ड-03-मोतीलाल नेहरू नगर (पूर्व/पश्चिम), प्रियदर्शनी परिसर (पश्चिम), वार्ड-04-प्रियदर्शनी परिसर (पूर्व), बी.एस.पी. क्षेत्र के सम्पूर्ण आवासीय सेक्टर क्षेत्र (मरोदा सेक्टर, रिसाली सेक्टर, रुआबाँधा सेक्टर को छोड़कर) एवं अन्य समान भूमि मूल्य के क्षेत्र। एवं क्षेत्र के सभी प्रमुख मार्गों में स्थित आवासीय भवन। वार्ड-01 जुनवाणी (खम्हरिया) वार्ड-2 पुष्पकनगर, आनंदनगर, त्रिवेणीनगर, माडल टाउन, वार्ड-03- वीक्षित कालोनी, गांधी नगर, वार्ड 04-राधिका नगर, वार्ड-12 कान्हेक्टर कालोनी, वार्ड-9 कृष्णा ग्रान्ड सिटी, वार्ड-07- फरीदनगर, अयप्पानगर, शिवाजी नगर, मैत्रीविहार, उल्लास नगर, दुर्गा नगर, कुबेर इन्कलेव, आनंदपुरम् फेस-2, वार्ड-8, कोहका, सनातन नगर विवेकानंद नगर, शिक्षकनगर, हा0 बोर्ड कालोनी, आनंदपुरम् फेस-1, सूर्या रेसीडेन्सी, कोहका, वार्ड-11-अम्बेडकर नगर, गांधी कालोनी, वार्ड-15-वैशालीनगर, वार्ड-10-शांतीनगर, चन्द्रनगर विवेकानंद नगर, राधिका रायल अपार्टमेंट, साकेत नगर, कोहका वार्ड-14 सुन्दरनगर, रामनगर मुख्य मार्ग, आजाद चौक से गौरव पथ तक बाबादीप सिंह नगर, जवाहर नगर, बसंत विहार, गुरुनानक नगर, वार्ड-16-कैलाशनगर, दलीप परिसर, प्रगतिनगर, श्रीराम हाईट्स, सुन्दरविहार, ए.सी.सी. कर्मचारी कालोनी, स्टील नगर कुरुद, प्रियदर्शनी सोसायटी कुरुद, वार्ड-26-हा0 बोर्ड कालोनी, वार्ड-38-दीनदयालपुरम्, शिवाजी नगर, वार्ड-32, न्यू खुरसीपार, एवं अन्य समान भूमि मूल्य के क्षेत्र।

जोन-1 (व्यवसायिक)

वार्ड-02-स्मृतिनगर मार्केट, जुनवाणी 100 फीट रोड चौड़ाई सम्मुख मार्ग के व्यवसायिक भवन, जुनवाणी चौक से एम.आर.-9 जुनवाणी मार्ग नाला मार्ग 150 फीट रोड तक के व्यवसायिक भवन एवं माडल टाउन नगर से सूर्यविहार चौक 100 फीट रोड तक व्यवसायिक भवन, 60 फीट रोड सेंट्रल एवेन्यू स्मृति नगर व्यवसायिक भवन, वार्ड-03-नेहरूनगर आवासीय एवं व्यवसायिक मार्केट, जी.ई. रोड गुरुद्वारा 80 फीट रोड मार्ग 80 फीट रोड से के.पी.एस. क्रास रोड, जी.ई. रोड नेहरू चौक से 80 फीट रोड अग्रसेन चौक होते हुए के.पी.एस. तफ के.पी.एस. से सी.एस.ई.बी. आफिस नेहरू नगर वाली रोड पर स्थित भूखण्ड एवं के.पी.एस. से 60 फीट रोड माडल टाउन (शिवाजी चौक) तक एवं माडल टाउन शिवाजी चौक से सूर्या अपार्टमेंट तक स्थित व्यवसायिक भवन, नेहरू परिसर एवं सम्पूर्ण व्यवसायिक भवन, प्रियदर्शनी परिसर (पश्चिम), दक्षिण गंगोत्री, राधिका नगर राधाकृष्णा मार्केट मुख्य रोड, उत्तर गंगोत्री, आकाश गंगा, शिवनाथ काम्पलेक्स, गणेश मार्केट, प्रियदर्शनी परिसर (पूर्व) में स्थित व्यवसायिक भवन, सम्पूर्ण सुपेला मार्केट जी.ई. रोड से 100 फीट रोड एवं 150 फीट रोड, राजेन्द्र चौक तक (पूर्व/पश्चिम) जी.ई. रोड के उत्तर/दक्षिण, निर्मित रोड के आग्नेय सामने स्थित व्यवसायिक भवन (किरसा रोड), आदर्श मार्केट, महात्मागांधी मार्केट, विजय बसंत, लिंक रोड मार्केट, जवाहर मार्केट सर्कुलर मार्केट, ए.बी.सी. मार्केट, रविशंकर शुक्ला मार्केट, जी.ई. रोड से नंदिनी रोड 100 फीट छावनी ए.सी.सी. रोड तक, 18 नं रोड (जी.ई. रोड से एम.आर.-9 रोड तक आग्नेय-सामने) स्थित व्यवसायिक भवन, एप्रोच रोड 50 फीट एवं 60 फीट रोड (जी.ई. रोड से गांधी चौक होते हुए सर्कुलर मार्केट तक व्यवसायिक भवन), टी-मार्केट, नंदिनी रोड से 100 फीट रोड ए.सी.सी. चौक जी.ई. रोड से राधिका नगर 60 फीट रोड, भारत माता मार्केट, बी.एस.पी. के समस्त सेक्टर (मरोदा सेक्टर, रिसाली सेक्टर, रुआबाँधा सेक्टर को छोड़कर) हुडको सेक्टर-मार्केट रविशंकर शुक्ला मार्केट, दीनदयाल मार्केट, खुरसीपार रोड के आग्नेय-सामने स्थित व्यवसायिक भवन, कालीबाड़ी से नंदिनी रोड, गुरुनानक नगर गौरव पथ 80 फीट एवं 100 फीट रोड से छावनी चौक तक स्थित व्यवसायिक भवन, हा0 बोर्ड गौरव पथ 80 फीट रोड से कैलाशनगर तक एवं अन्य समान भूमि मूल्य के क्षेत्र। जलेशी चौक केम 1 से पानी टंकी हनुमान मंदिर तक रोड के किनारे स्थित व्यवसायिक भवन एवं क्षेत्र के सभी प्रमुख मार्गों में स्थित व्यवसायिक भवन। गोल मार्केट, गुरुनानक मार्केट, श्रीराम मार्केट, न्यू खुरसीपार मार्केट एवं अन्य समान भूमि मूल्य के क्षेत्र, विश्वकर्मा मार्केट, निगम क्षेत्र में स्थित समस्त सिनेमाघर (टाकीज)। पांच रास्ता रोड सुपेला।

जोन-2 (आवासीय)

वार्ड क्रमांक-3 कोसा नगर स्थित ई.डब्ल्यू.एस. भवन, आर्य नगर, गांधी नगर जुनवाणी, कृपालनगर कोहका, वार्ड 69-70-हुडको कालोनी, वार्ड-19 डारवी नगर केम्प-1 स्थित आवासीय भवन एवं अन्य समान भूमि मूल्य के क्षेत्र (मुख्य रोड छोड़कर)

जोन-2 (व्यवसायिक)

अभिक बस्तियों के मध्य स्थित व्यवसायिक भवन एवं अन्य समान भूमि मूल्य के क्षेत्र।

जोन-3, (आवासीय)

वार्ड-02- इंदिरानगर मॉडल टाउन श्रमिक बस्ती, वार्ड-01 खम्हरिया बस्ती, जुनवानी पुरानी बस्ती, वार्ड-03, कौसानगर, वार्ड-04- कृष्णानगर, संजयनगर, गौतमनगर, भीमनगर, देवांगन पारा, कुम्हारपारा, बलराम चौक, गणेश चौक, लोहारपारा, ग्यू कृष्णा नगर, वार्ड-05-राजीवनगर, लक्ष्मीनगर, आदर्शपारा, दुर्गापारा, गौतमनगर, उडियापारा, सुपेला, देवांगनपारा सुपेला, वार्ड-06-शंकरनगर, धिगरीपारा, सुपेला बस्ती, इंदिरानगर, वार्ड-12-पाँच रास्ता कान्हेचर कॉलोनी, बारादारी कालोनी, बजरंग चौक, सुपेला वार्ड-09-कोहका पुरानी बस्ती, कोहका, झोपड़ापारा, वार्ड-07-मुरुम खदान फरीद नगर, कोहका, वार्ड-11-अम्बेडकर नगर गंठी बस्ती (अन्दर भाग), वार्ड-14 रामनगर अन्दर भाग, वार्ड-13- राजीव नगर, रामनगर (पश्चिम) भाग- "अ", रामनगर (पश्चिम) भाग- "ब", वार्ड-16-कुन्द, हरिजन पारा, लोहपारा, पुरानी बस्ती, माठापारा, वार्ड-27- घासीदास नगर, विवेकानंद कालोनी, वार्ड-17, बुन्दानगर, वार्ड-18, प्रेमनगर दुर्गा चौक केम्प-1, वार्ड नं-19, शास्त्री नगर केम्प-1 स्थित श्रमिक बस्तीलोनी वार्ड-20 प्रगतिनगर केम्प-1, वार्ड-21 सुन्दरनगर केम्प-1, वार्ड-24 शास्त्रापारा गांधी चौक केम्प-2, वार्ड-25 संतोषीपारा, केम्प-2, वार्ड-23 रविदासनगर वार्ड-22 श्यामनगर, वार्ड-28 छावनी, वार्ड-37 चन्द्रशेखर आजाद नगर, वार्ड-38 शहीदवीरनारायण सिंह नगर (जी.ई. रोड को छोड़कर) वार्ड-38 खुर्सीपार जोन-1 गौतमनगर, वार्ड-35 खुर्सीपार जोन-2 शास्त्रीनगर, वार्ड-34 खुर्सीपार जोन-2, नेताजी सुभाष वार्ड, वार्ड-30 बालाजी नगर, वार्ड-29 बापूनगर, वार्ड-33 खुर्सीपार वार्ड जोन-3, वार्ड-31 दुर्गा मंदिर, एवं अन्य समान भूमि मूल्य के क्षेत्र।

जोन-3 (व्यवसायिक)

जोन-3 के अन्तर्गत आने वाले आवासीय क्षेत्र के अंदर भाग में कर रहे व्यवसाय पर जोन-3 के अन्तर्गत व्यवसायिक दर से गणना की जावेगी।

जोन क्रमांक-4 (औद्योगिक) :-

नगर पालिक निगम, भिलाई क्षेत्रान्तर्गत स्थित औद्योगिक संस्थान एवं अन्य समान भूमि मूल्य के क्षेत्र।

3- मोबाईल टावरों एवं भूमिगत केबल पर सम्पत्तिकर अवधारण के संबंध में -

भूमिगत केबल पर संबंधित जोन के अनुसार करों का निर्धारण वार्षिक भाड़ा मूल्य की दर से सम्पत्तिकर का अधिरोपण किया जावेगा।

1. भूमिगत केबल पर सम्पत्तिकर का अवधारण - भूमिगत केबल क्षेत्रफल पर उक्त क्षेत्र के संबंधित सम्पत्तिकर व्यवसायिक जोन के भूमि के वार्षिक भाड़ा मूल्य की दर से सम्पत्तिकर का अवधारण किया जावेगा।
2. मोबाईल टावर पर सम्पत्तिकर का अवधारण - मोबाईल टावर पर प्रति टावर पचास हजार रु. वार्षिक सम्पत्तिकर का अधिरोपण निगम के सभी क्षेत्र में किया जावेगा। आवासीय ऐसे भवन जिन पर मोबाईल टावर स्थापित हैं उक्त आवासीय भवन के स्वामी को स्वयं के रहवास के अंतर्गत मिलने वाली सम्पत्तिकर पर 50 प्रतिशत छूट की पात्रता नहीं होगी।
3. भवनों की छतों पर लगे हुए होर्डिंग्स पर सम्पत्तिकर का निर्धारण उक्त क्षेत्र के संबंधित सम्पत्तिकर व्यवसायिक जोन के वार्षिक भाड़ा मूल्य की दर से सम्पत्तिकर देय होगा।
- 4- शिक्षा उपकर :- शिक्षा उपकर शुद्ध वार्षिक भाड़ा मूल्य पर 2 प्रतिशत की दर से अधिरोपित किया जावेगा।
- 5- समेकितकर :- छत्तीसगढ़ राज्य पत्र रायपुर दिनांक 05.02.2010 के अनुसार नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, रायपुर की अधिसूचना क्र. 633/7703/18/2009-छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 (क्र. 23 सन् 1956) की धारा 132 की उपधारा (1) के खण्ड (ग), (घ), (ङ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा सामान्य स्वच्छता कर, सामान्य प्रकाश कर व सामान्य अधि कर की समेकित न्यूनतम दरों में निम्नानुसार संशोधन किया गया है। अर्थात् सामान्य स्वच्छता कर, सामान्य प्रकाशकर, सामान्य अधि कर की समेकित न्यूनतम दर सम्पत्तिकर दाता के लिये रु. 50/- प्रतिमाह एवं गैर सम्पत्तिकर दाता के लिये 25/- प्रतिमाह किया गया है। तदनुसार नगर निगम भिलाई में अवधारित किया जावेगा।
- 6- सम्पत्तिकर निर्धारण हेतु भवन के निर्माण की गुणवत्ता के आधार पर भवन की वार्षिक भाड़ा मूल्य की दरें निम्नानुसार हैं :-

वार्षिक भाड़ा मूल्य की दरें (दरें प्रति वर्गफुट)

जोन क्र.	पक्का भवन (आर.सी.सी., या पत्थर की छत युक्त पक्के भवन)		आंशिक पक्का भवन (सीमेंट या लोहे की चादर/कवेलू (टाईल्स) की छत युक्त पक्के भवन)		कच्चा भवन		खुली भूमि		मुख्य सड़क या बाजार में स्थित भूमि/भवन	
	आवा.	व्यव.	आवा.	व्यव.	आवा.	व्यव.	आवा.	व्यव.	आवा.	व्यव.
1.	23.94	52.92	20.16	48.50	13.22	17.00	10.08	12.60	41.58	55.44
2.	16.38	48.50	13.22	44.10	10.08	13.22	5.04	6.30	32.78	52.92
3.	13.86	16.38	10.08	13.86	8.18	10.08	2.52	3.78	26.46	32.76
4. औद्योगिक	-	16.38	-	12.60	-	8.82	-	3.14	-	-

7- अवधारित वार्षिक भाड़ा मूल्य पर वार्षिक सम्पत्तिकर की दरें निम्नानुसार हैं :-

क्र.	अवधारित वार्षिक भाड़ा मूल्य	वार्षिक सम्पत्तिकर की दरें (प्रतिशत में)
1.	कवेलू छत सहित कच्चे मकान जिनका क्षेत्रफल 500 वर्गफुट से अधिक न हो।	संपूर्ण छुट (निगमानुसार समेकित कर देय होगा)
2.	ऐसी सभी भूमि और भवन, जिन पर स्वामित्व या कच्चा शहरी मशीनों का हो तथा जिनका निर्माण शहरी मशीनों के लिए भारत सरकार राज्य सरकार छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंत्रालय या नगर पालिक निगम की किसी गृह निर्माण योजना के अंतर्गत हुआ हो।	संपूर्ण छुट (निगमानुसार समेकित कर देय होगा)
3.	वार्षिक भाड़ा मूल्य 12000/- तक	6 प्रतिशत
4.	वार्षिक भाड़ा मूल्य 12001/- से 20000/- तक	8 प्रतिशत
5.	वार्षिक भाड़ा मूल्य 20001/- से 30000/- तक	10 प्रतिशत
6.	वार्षिक भाड़ा मूल्य 30001/- से 50000/- तक	12 प्रतिशत
7.	वार्षिक भाड़ा मूल्य 50001/- से 75000/- तक	15 प्रतिशत
8.	वार्षिक भाड़ा मूल्य 75001/- से 100000/- तक	18 प्रतिशत
9.	वार्षिक भाड़ा मूल्य 100001/- से अधिक	20 प्रतिशत

8- छूट - वर्तमान में अवधारित वार्षिक भाड़ा मूल्य / देय सम्पत्तिकर पर छूट निम्नानुसार है :-

1. बहुमंजिला भवनों के वार्षिक भाड़ा मूल्य की दर में छूट - यथावत।
2. भवनों के रख-रखाव के प्रयोजन से कुल वार्षिक भाड़ा मूल्य में पूर्ववत् 10 प्रतिशत की छूट यथावत।
3. भवन स्वामियों के स्वयं के निवास करने पर देय सम्पत्तिकर में छूट-पूर्ववत् अनुसार स्वयं के रहवास वाले भवन पर भवन स्वामी को कुल देय सम्पत्तिकर में से 50 प्रतिशत तक राशि की छूट देय होगी परन्तु यदि उक्त आवासीय भवन में मोबाइल टावर स्थापित हैं ऐसी दशा में भवन स्वामी को उक्त छूट की पात्रता नहीं रहेगी।

4.	भारत सरकार, राज्य सरकार या नगर पालिक निकायों की शैक्षणिक संस्थानों पंजीकृत धर्मार्थ न्यास, आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 12 की उपधारा (1) के अंतर्गत पंजीकृत शैक्षणिक संस्थान।	संपूर्ण छूट
5.	शैक्षणिक संस्थान जो की उपरोक्त भेगी (4) के अधीन आच्छादित नहीं है।	निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (2009 का 35) के अनुपालन के अनुपात में पचास प्रतिशत की अधिकतम सीमा के अद्यधीन रहते हुए ऐसे अनुपालन की सीमा तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना।
6.	निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार का संरक्षण तथा पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 (1996 का 1) के अंतर्गत निःशक्त व्यक्तियों के स्वामित्व के अधीन भूमि और भवन	पच्चीस प्रतिशत।
7.	नेत्रहीन व्यक्तियों तथा तत्साकशुदा/परित्यक्त (निराश्रित) महिला के स्वामित्व वाली भूमि और भवन।	पचास प्रतिशत।

09- भिलाई इस्पात संयंत्र के स्वामित्व के भूमियों एवं भवनों का भी 2020-21 के लिये निर्धारित दर अनुसार सम्पत्तिकर पुनर्निर्धारण किया जावेगा।

10- नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 137 के अंतर्गत छूट-वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु सम्पत्तिकर निर्धारित अवधि के पूर्व राशि जमा करने वाले भवन/भूमि स्वामियों को निम्नानुसार छूट की पात्रता होगी :-

1. 01 अप्रैल 2020 से 31 मई 2020 के भीतर देय सम्पत्तिकर जमा करने पर 6.25 प्रतिशत की छूट।
2. 01 जून 2020 से 31 जुलाई 2020 के भीतर देय सम्पत्तिकर जमा करने पर 5 प्रतिशत की छूट।
3. 01 अगस्त 2020 से 30 सितम्बर 2020 के भीतर देय सम्पत्तिकर जमा करने पर 4 प्रतिशत की छूट।
4. 01 अक्टूबर 2020 से 30 नवम्बर 2020 के भीतर देय सम्पत्तिकर जमा करने पर 2 प्रतिशत की छूट।

11- अधिभार - छ.न. नगर पालिक अधिनियम 1956 का धारा 138(2) की उपधारा (1) के अधीन निगम द्वारा अंगीकृत किये गये संकल्प के आधार पर भूमि या भवन का प्रत्येक स्वामी, अपनी भूमि या भवन का वार्षिक भाड़ा मूल्य निर्धारित करेगा तथा इस निमित्त विहित प्रारूप में एक विवरणी के साथ संपत्तिकर की रकम, निगम द्वारा नियत की गई तारीख को या उसके पूर्व जमा करेगा जिसमें असफल रहने पर, ऐसी दर से अधिभार जैसा कि निगम द्वारा अवधारित किया जाये, प्रभारित किया जाएगा। भवन स्वामी को वित्त वर्ष 2020-21 में बिना अधिभार के स्व-विवरणी प्रस्तुत करने एवं देय राशि जमा करने की अंतिम अवधि 30 नवम्बर 2020 तक निर्धारित है, परन्तु इसके पश्चात 60 दिनों की विलम्ब की अवधि पर 5 प्रतिशत अतिरिक्त अधिभार एवं 60 दिन से अधिक के विलम्ब की अवधि पर 10 प्रतिशत अधिभार देय कुल राशि पर देय होगा तथा वित्त वर्ष 2020-21 के बाद अर्थात् 31 मार्च 2021 के पश्चात कुल देय राशि पर 18 प्रतिशत की दर से अधिभार के अतिरिक्त (1). नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 138 की उपधारा (2-क) के अंतर्गत - यदि ऐसा व्यक्ति जिसका दायित्व था कि वह 31 मार्च के पूर्व स्वनिर्धारण पत्रक प्रस्तुत करे, के द्वारा यह पत्रक प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो उस पर चूक हेतु एक हजार रूपये की शास्ति अधिरोपित की जाएगी।

(2) नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 138 की उपधारा (3) उपधारा (2) के अंतर्गत किये गये निर्धारण में निम्न स्तर पर दस प्रतिशत तक का अंतर आता है, परन्तु कर देय होने की तिथि तथा अंतर की राशि जमा करने की तिथि के बीच (अंतर) के प्रत्येक माह के लिए दो प्रतिशत की दर से अधिभार के साथ निर्धारित निर्धारण आवेक्ष के दो सप्ताह के भीतर कमी की राशि जमा करें, तो शास्ति के प्रयोजन पर ध्यान नहीं दिया जायेगा, तथा ऐसे मामलों में जहाँ अंतर दस प्रतिशत से अधिक हो, तो भूमि और /या भवन का स्वामी, यथास्थिति, कर देय होने की तिथि तथा अंतर की राशि जमा करने की तिथि के बीच (अंतर) के प्रत्येक माह के लिए दो प्रतिशत की दर से अधिभार के अतिरिक्त उसके द्वारा किये गये स्व-निर्धारण तथा निगम के द्वारा किये गये निर्धारण के अंतर के पांच गुने के बराबर शास्ति भुगतान करने का दायी होगा।

(3) नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 138 की (4) उपधारा (3) के अधीन पारित किये गये आवेक्ष के विरुद्ध अपील मेयर-इन-काउंसिल में होगी :-

परन्तु इस उपधारा के अंतर्गत कोई भी अपील तब तक ब्रह्म नहीं की जाएगी जब तक कि उसके साथ उपधारा (3) के अंतर्गत जारी आवेक्ष के अनुसार मांगी गई राशि के सविरोध भुगतान करने का प्रमाण संलग्न नहीं किया गया हो।

उपरोक्तानुसार अधिसूचना 01 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक नगर पालिक निगम, भिलाई क्षेत्र में स्थित समस्त भवन/भूमि स्वामी/दखलदार पर प्रभावशील होगी।